9

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1701–दो/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 6–9–2005 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 191 बी–121/ 2002–03 अपील

1– दीना पुत्र बल्दू 2– कूरे पुत्र बल्दू
3– गनेशीवाई पुत्री गजई 4– रम्चू पुत्री गजई
5– रजकू पुत्री गजई सभी जाति अहिरवार
निवासीगण ग्राम पलेरा तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– पुनुआ 2– तुलसिया पुत्रगण भईयन अहिरवार
3– श्रीमती रूकमणी पत्नि स्व.भईयन अहिरवार
निवासीगण पलेरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जितेन्द्र कुशवाह)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 2–1 – 2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागंर व्दारा प्रकरण क्रमांक 191 बी–121/2002–03 अपील में

पारित आदेश दिनांक 6-9-2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष आवेदकगण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 113 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पलेरा की भूमि सर्वे कमांक 1382, 1383, 1384, 1376, 1377, तथा भूमि सर्वे कमांक 1342, 1343 (आगे इन भूमियों को वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर भूमिस्वामियों के नाम की गलत पृविष्टियों को सुधार करने की मांग की। अनुविभागीय अधिकारी जतारा ने प्रकरण कमांक 13 सी-129/01-02 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 5-6-2002 पारित करके भू अभिलेख दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध पुनुआ आदि अनावेदकगण ने कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष अपील कमांक 10/2002-03 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 20-2-2003 से अपील निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 5-6-02 को यथावत् रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण प्रकरण कमांक 191 बी-121/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-9-2005 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये एंव अपील स्वीकार कर भूमि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 5-6-02 के पूर्व की स्थिति में रखे जाने के आदेश दिये गये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी जतारा ने आदेश दिनांक 5-6-02 से वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/2 पर गजई के स्थान पर उसके वारिसान आवेदकगण का नाम इन्द्राज करना स्वीकार किया है, एंव कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 10/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-2-2003 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को पुष्टिकृत किया है, जबकि उपलब्ध अभिलेख अनुसार गजई संबत 2015 अर्थात सन 1959 से सन् 1943-44 यानि संबत 2000 तक गजई के नाम भूमि रही है संबत 2015 यानि सन 1957-58 के वाद वर्ष 1974-75 के खसरा अथवा अन्य अभिलेख अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुये है जिसके कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है कि गजई के वाद बुद्धा आदि का नाम कब व किस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर दर्ज हुआ। वर्ष 1975 से लेकर 2001 तक उभय पक्ष के नाम भूमि दर्ज पाई गई है । वर्ष 1975 अथवा इसके पश्चात् भूमि किस आदेश से उभय पक्ष की हुई , यह भी परिलक्षित नहीं है क्योंकि पुष्टिकरण में किसी प्रकार अभिलेख प्रस्तुत नहीं हुआ है और इन अभिलेखों की सत्यता जानने का प्रयास कलेक्टर एंव अनुविभागीय अधिकारी जतारा ने नहीं किया है जिसके कारण

अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 191 बी-121/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-9-2005 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश दोषपूर्ण पाकर निरस्त किये हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि करना परिलक्षित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 191 बी-121/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-9-2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर